भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4048

(जिसका उत्तर मंगलवार, 3 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)

ई-वे बिल के कार्यान्वयन में व्यवधान

4048. श्री संजय सिंहः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 1 फरवरी, 2018 को माल एवं सेवा कर के अंतर्गत लागू किए गए ई-वे बिल के कार्यान्वयन से देश भर में व्यापक व्यापार व्यवधान उत्पन्न हुए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रणाली के कार्यान्वयन की परीक्षण अवधि बढ़ा दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रणाली के कार्यान्वयन में विफलता के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो एक बार ई-वे बिल प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद भविष्य में ऐसे व्यवधान से बचने के लिए सरकार की परीक्षण अवधि के दौरान क्या-क्या उपाय करने की योजना है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

(क) से (ग): जी नहीं। हालांकि, तकनीकी गडबड़ियों के कारण ई-वे बिल तैयार करने में आने वाली कुछ परेशानियों के बारे में उद्योग जगत से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसके बाद अंतर्राज्जीय और अंतःराज्जीय दोनों प्रकार के परिवहन के लिए ई-वे बिल तैयार करने की परीक्षण अवधि को 31.03.2018 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया था।

(घ): जीएसटी परिषद ने दिनांक 10.03.2018 को हुई अपनी 26 वीं बैठक में राष्ट्रीय ई-वे बिल के क्रियान्वयन की पद्धति की तैयारी की तकनीकी संरचना और विधिक संदर्भों दोनों ही दृश्य से समीक्षा की थी और यह निर्णय लिया गया था कि वस्तुओं के अंतर्राज्जीय परिवहन के मामले में इसे 01.04.2018 से लागू किया जाएगा।

******